उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी का कार्यालय, बोकारो

पत्रांक 158 (NTCP) दिनांक 19/07/2019

आदेश

सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिषेध एवं व्यवार तथा वाणिज्य, उत्पादन, प्रदाय एवं वितरण का विनियमन), अधिनियम -2003 (COTPA) प्रभावकारी अनुपालन के लिए बोकारो जिला में अनुमण्डल स्तरीय उड़न दस्ता टीम का गठन किा जाता है।

अनुमण्डल स्तर पर गठित की गई उड़न दस्ता के सदस्यों की संरचना निम्नवत है –

अनुमण्डल स्तरीय उड़न दस्ता के सदस्य :–

1. अनुमण्डल पदाधिकारी – अध्यक्ष
2. अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी – सदस्य
3. कार्यापालक दण्डाधिकारी – सदस्य
4. अनुमण्डल कल्याण पदाधिकारी – सदस्य
5. प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, अनुमंडल मुख्यालय – सदस्य
6. अनुमण्डल शिक्षा पदाधिकारी – सदस्य
7. संबंधित थानाध्यक्ष – सदस्य

अनुमण्डल स्तर पर गठित की गई उड़न दस्ता के सदस्य COTPA, 2003 के किसी भी उपबंध के उल्लंघन की स्थिति में नियमानुसार कार्रवाई करने के लिए प्राधिकृत किये जाते है। उड़न दस्ता हेतु प्रस्तावित अधिकारी की प्रदत शक्तियाँ निम्नवत होंगी :–

1. उड़न दस्ता हेतु प्राधिकृत पदाधिकारी COTPA, 2003 की धारा –4 के उल्लंघन होने की स्थिति में व्यक्तिगत अपराधों के लिए 200/–रूपये से अधिक नहीं होगी को वसूलने के लिए सक्षम होंगे।
2. भारत सरकार का राजपत्र संख्या –304, नई दिल्ली, शुक्रवार, 30 मई 2008 में वर्णित प्रावधान के आलोक में यदि सार्वजनिक स्थान का मालिक/प्रोपराईटर/प्रबंधक/पर्यवेक्षक या प्राधिकृत अधिकारी ऐसा उल्लंघन सूचित करने पर कार्यवाई करने पर असफल रहता है तो मालिक/प्रोपराईटर/प्रबंधक/पर्यवेक्षक या प्राधिकृत अधिकारी व्यक्तिगत अपराधों की संख्या के समतुल्य जुर्माना अदा करने का जिम्मेदार होगा। अनुमण्डल स्तर पर गठित उड़न दस्ता के सदस्य ऐसे मामलों में व्यक्तिगत अपराधों के संख्या के समतुल्य जुर्माना वसूलने के लिए भी प्राधिकृत किए जाते है।
3. उड़न दस्ता हेतु प्राधिकृत पदाधिकारी COTPA की धारा–6 के खण्ड (क) और खण्ड (ख) के तहत किसी उपबंध आदि का उल्लंघन होने की स्थिति में नियमानुसार कार्रवाई करने के लिए सक्षम होंगें।
4. उड़न दस्ता हेतु प्राधिकृत पदाधिकारी COTPA की धारा–5 एवं 7 के किसी भी उपबंध के उल्लंघन होने के स्थिति में उल्लघन को रोकने के लिए सक्षम होंगे।
5. अनुमण्डल स्तर पर COTPA, 2003 के प्रभावकारी अनुपालन के लिए गठित उड़न दस्ते के सदस्य COTPA, 2003 की धारा–12 एवं 13 में वर्णित प्रावधान के आलोक में यदि उसके पास या संदेह करने का कारण हो कि कोटपा, 2003 अधिनियम के किसी उपबंध का उल्लंघन किया गया है या किया जा रहा है तो लिखित रीति से किसी [illegible]

Scanned by CamScanner

किसी अन्य स्थान में प्रवेष कर संकेंगे और तलासी लिए जाने के लिए सक्षम होंगे एवं विहित रीति से ऐसे पैकेज या विज्ञापन सामग्री का अभिग्रहण कर सकेंगे।

6. इस काम में अनुमंडल पदाधिकारी अनुमंडल स्तरीय अन्य पदाधिकारियों की भी सेवायें लें सकेंगे।

यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगी।

Note: COTPA, 2003 के औचक निरीक्षण एवं अर्थदण्ड वसूली केवल COTPA, 2003 के लिए गठित छापामार दस्ते के सदस्य/ COTPA, 2003 के विभन्न धाराओं यथा 4, 5 ,6 7 के लिए प्राधिकृत अधिकारी/पदाधिकारी एवं प्रशासन/पुलिस पदाधिकारी के द्वारा ही की जाएगी। छापामारी/अर्थदण्ड वसूली हेतु गठित दल में उपरोक्त वर्णित पदाधिकारियों के अतिरिक्त किसी संस्था/गैर सरकारी संस्था अथवा व्यक्ति विशेष को सम्मिलित नहीं की जा सकती है।

18/7/17

सिविल सर्जन सह सदस्य सचिव
जिला तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम बोकारो

उपायुक्त–सह–अध्यक्ष
जिला तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम बोकारो

ज्ञापांक 158 (NTCP) दिनांक 19/07/2019

प्रतिलिपिः मुख्य सचिव, झारखण्ड सरकार, राँची को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपिः पुलिस महानिदेशक, झारखण्ड सरकार, राँची को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपिः प्रधान सचिव, स्वा0 चि0 शि0 एवं प0 क0 विभाग, झारखण्ड सरकार, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपिः आयुक्त बोकारो को सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपिः अभियान निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन समिति, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपिः निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाऐं, झारखण्ड को सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपिः राज्य नोडल पदाधिकारी NTCP, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपिः वरीय पुलिस अधीक्षक, बोकारो को सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपिः आयुक्त, चास नगर निगम, बोकारो को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ हेतु प्रेषित।
प्रतिलिपिः पुलिस अधीक्षक रेल सहित, बोकारो को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि अपने स्तर से जिले के सभी थानाध्यक्षों एवं पुलिस निरीक्षको को इस आशय की सूचना देगें।
प्रतिलिपिः अपर समाहर्ता–सह–विशेष नोडल पदाधिकारी तम्बाकू नियंत्रण बोकारो को सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपिः आरक्षी उपाधीक्षक, बोकारो को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपिः असैनिक शल्य चिकित्सक सह मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, बोकारो को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपिः अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, बोकारो को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपिः जिला परिवहन पदाधिकारी/जिला खाद्य सुरक्षा/पदाधिकारी जिला औषधि निरीक्षक/जिला शिक्षा पदाधिकारी/जिला श्रम अधीक्षक/जिला सूचना जनसम्पर्क पदाधिकारी/जिला वाणिज्य कर पदाधिकारी /जिला नोडल पदाधिकारी, राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण, बोकारो को सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपिः सभी नामित सदस्यों को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपिः जिला कार्यक्रम प्रबंधक, जिला स्वास्थ्य समिति, बोकारो सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपिः जिला जनसम्पर्क पदाधिकारी, बोकारो को निदेशित किया जाता है कि इस आदेश को जिला स्तर पर विभिन्न समाचार पत्रों के माध्यम से प्रचार–प्रसार करना सुनिश्चत करेंगे।

उपायुक्त–सह–अध्यक्ष
जिला तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम, बोकारो

Scanned by CamScanner